शैक्षणिक सत्र 2024-25 अतिथि व्याख्याता आमंत्रण
अभ्यर्थियों एवं संस्थाओं के लिये सामान्य निर्देश

1. अतिथि व्याख्याता आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पूर्व में संचालित प्रक्रिया में जिन सत्यापित अभ्यार्थियों को संस्था आवंटन नहीं हुआ है, उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
2. पूर्व में अतिथि व्याख्याता आमंत्रण प्रक्रिया में जिन अभ्यार्थियों ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है, वे दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।
3. पूर्व में अतिथि व्याख्याता आमंत्रण प्रक्रिया में जिन अभ्यार्थियों को संस्था आवंटन जारी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा संस्था में रिर्पोटिंग नहीं की गई है ऐसे अभ्यार्थियों को भी इस चरण की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पुन: आवेदन प्रस्तुत कर सत्यापन इत्यादि कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
4. उपरोक्त सरल क्रमांक-1 एवं 2 में उल्लेखित अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपने प्राथमिकता क्रम में रूपये 50 का शुल्क देकर प्राथमिकता बदल सकते है।
5. जो अभ्यर्थी संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दे चुके है, यदि वे पुन: प्रक्रिया में शामिल होना चाहते है, तो उन्हें नवीन आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करनी होगी।
6. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान जिन अभ्यार्थियों के आवेदन निरस्त किये गये है, ऐसे अभ्यर्थी यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर पुन: नवीन आवेदन प्रस्तुत कर दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रक्रिया में भाग ले सकते है।
7. तकनीकी विषयों के लिये आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में गेट का वैध स्कोर उपलब्ध होने पर ही प्रथम अथवा द्वितीय मेरिट सूची के विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
8. समस्त संस्थाएं स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्तियों की प्रविष्टि पोट्ल पर लॉगिन के माध्यम से सावधानीपूर्वक करें। रिक्तियां सिर्फ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ही की जा सकेगी।
9. आवेदनों का सत्यापन करते समय विशेष सावधानी अपेक्षित है। मेरिट एवं संस्था आवंटन, सत्यापन में उपलब्ध डाटा के माध्यम से किया जाता है। अत: सत्यापन की प्रक्रिया दक्षता पूर्ण की जाना अपेक्षित है।
10. अभ्यर्थी सत्यापन के समय उपलब्ध कराई गई सत्यापन पर्ची का तत्समय अवलोकन करें एवं आवश्यक होने पर तत्काल संशोधन/सुधार सत्यापन केन्द्र पर ही करावें। तद्परांत किसी भी तरह का परिवर्तन सत्यापन डाटा में समय सारणी की तिथियां समाप्त होने पर किया जाना संभव नहीं है।
11. सत्यापन उपरांत जारी मेरिट एवं संस्था आवंटन पश्चात् अभ्यर्थियों के दसतावेज का आवंटित संस्था में पुन: मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य है। आवंटित संस्था में सत्यापन के समय ऑनलाइन उपलब्ध प्रविष्टियों का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जावेगा। ऑनलाइन प्रविष्टियों एवं मूल दस्तावेजों में भिन्नता होने पर अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
12. अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम ग्रेड प्रक्रिया में जारी किये गये है, तब यह जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी कि वह ग्रेड से अंको (प्रतिशत) परिवर्तन का वैधानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना सत्यापन प्रक्रिया अनुसार करावें।